Judges Guest House, Drummond Road Civil Lines Allahabad Office Time 10 a.m. to 5 p.m.

Dated 17.03.2015

## Public Notice

- A. WHEREAS incidents involving breaches of security at and the disruption of the orderly functioning of District Courts have been reported in the recent past from several districts of the State of Uttar Pradesh including the most recent at District Court at Allahabad. Such incidents have seriously undermined the sanctity of the District Judiciary.
- B. WHEREAS such incidents have a serious repercussion on the safety and security of litigants, lawyers, judicial officers, court staff, administrative officials of the State and all other stakeholders in the judicial process.
- C. WHEREAS Hon'ble the Chief Justice, High Court of Judicature at Allahabad, on the administrative side, has initiated an enquiry and nominated Hon'ble Mr. Justice Pradeep Kumar Singh Baghel as Enquiry Judge to submit a report on the incident which took place at the District Court at Allahabad on 11 March 2015, with the following terms of reference:
  - 1. to make a comprehensive assessment of the situation to determine all aspects including those having a bearing on the need to ensure safe and orderly conditions of work in and the proper discharge of judicial functions by the District Courts of the State of Uttar Pradesh;
  - 2. to determine the appropriate remedial measures for the safety and security of litigants, lawyers, judicial officers, court staff, administrative officials of the State and all other stakeholders in the judicial process.

NOW, THEREFORE, Hon'ble the Enquiry Judge, so nominated, hereby issues this public notice inviting all persons who are acquainted with, affected by, concerned with and such other public organizations having social agenda in respect of the matter of inquiry to furnish their statement relating to the incident occurred on 11 March 2015 at Civil Court, Allahabad. Such statement should be in the form of an affidavit in respect of the facts set out in the statement. All affidavits thus made in response hereto shall be treated as confidential documents unless otherwise directed by the Hon'ble Enquiry Judge. The affidavits should be sworn before a Notary Public. Further, the person(s) furnishing a statement shall also furnish to the Hon'ble Enquiry Judge along with the statement a list of documents or electronic documents, if any, on which he/she proposes to rely, and forward to the Hon'ble Enquiry Judge, wherever practicable, the originals or true copies of such of the

documents as may be in his/her possession or control, and shall state the name and address of the person from whom the remaining documents may be obtained.

The statements in the form of affidavits along with the documents shall be sent to the Presenting Officer of the Enquiry by speed post/e-mail <a href="mailto:inquiryhighcourt@gmail.com">inquiryhighcourt@gmail.com</a> or may be personally handed over to the Presenting Officer at Enquiry Office within two weeks from the date of publication of this notice. The affidavit is required only in respect of the incident dated 17 March 2015.

If any person wants to present himself/herself as a witness, he/she may send an application with his/her address and contact number to the Presenting Officer of the Enquiry within two weeks from the date of publication of this public notice in the office hours (10 a.m. to 5 p.m.).

If any person wants to submit his/her suggestions relating to the above terms of reference, he/she may send the same either by speed post or through e-mail <u>inquiryhighcourt@gmail.com</u> or personally to the Presenting Officer of the Enquiry within two weeks from the date of publication of this notice in the office hours (10 a.m. to 5 p.m.).

In terms of the order of reference, the present fact finding enquiry will not trench upon the culpability of any individual for the incident at the District Court at Allahabad which either is or may be the subject matter of criminal investigation.

Issued under the Orders of the Hon'ble Enquiry Judge.

(Sanjay Kumar Pachori)

H.J.S.

Presenting Officer/ O. S. D. (Judicial) (Enquiries)
High Court Allahabad
e-mail: inquiryhighcourt@gmail.com

## जॉच कार्यालय न्यायाधीश अतिथि गृह इमण्ड रोड, इलाहाबाद।

कार्यालय समयः सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक। दिनांकः 17.03.15

## लोक सुचना

- (अ) चूँकि निकटवर्ती अतीत में उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न न्यायालयों में सुरक्षा भंग व जिला न्यायालयों के व्यवस्थित कार्यकरण में बाधाकारी कई घटनायें संसूचित की गयी हैं जिनमें इलाहाबाद जनपद न्यायालय में घटित सर्वाधिक सन्निकट अतीत में घटित घटना शामिल है। ऐसी घटनाओं ने जनपद न्यायालय की शुचिता को गम्भीर रूप से न्यूनीकृत किया है।
- (ब) चूँकि ऐसी घटनाओं ने वादकारियों, अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों, न्यायालय कर्मियों, राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों एवं न्यायिक प्रक्रिया के अन्य हितधारियों की सुरक्षा व संरक्षा पर गम्भीर कुप्रभाव डाला है।
- (स) चूँकि माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने प्रशासनिक स्तर पर जाँच संस्थित की है एवं माननीय न्यायाधीश श्री प्रदीप कुमार सिंह बघेल को जनपद न्यायालय इलाहाबाद में 11 मार्च 2015 को घटित घटना की जाँच आख्या निम्नांकित संदर्भ बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने के लिये जाँच न्यायमूर्ति नामित किया है:
- 1. स्थिति का समग्र आकलन करना ताकि सभी पहलुओं का निर्धारण हो सके जिनमें उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में निरापद एवं व्यवस्थित कार्यदशाओं को एवं न्यायालयों द्वारा न्यायिक दायित्वों के निर्वहन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देने वाले तथ्य सिम्मिलित हैं।
- 2. वादकारियों, अधिवक्ताओं, न्यायालय कर्मियों, राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों तथा न्यायिक प्रकिया के अन्य हितधारियों की सुरक्षा एवं संरक्षा के हेतु उपयुक्त उपचारात्मक उपायों को अभिनिर्धारित करना।

अतः इस प्रकार् से नामित माननीय जाँच न्यायमूर्ति द्वारा इस लोक

सूचना को इस आशय से प्रकाशित किया जा रहा है कि दि0 11.03.2015 को जिला न्यायालय, इलाहाबाद में घटित घटना से अभिज्ञ, प्रभावित या सम्बन्धित सभी व्यक्ति तथा इस प्रकार के सामाजिक कार्यवृत्त रखने वाली लोक संस्थाएं जाँच विषय से सम्बन्धित अभिकथन दे सकें। इस प्रकार के अभिकथन से सम्बन्धित तथ्य शपथ पत्र के रूप मे दिये जायेंगे। इस प्रकरण में दिए गए सभी शपथ पत्र गोपनीय प्रलेख माने जायेंगे, जब तक कि माननीय जाँच न्यायमूर्ति द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाये। सभी शपथ पत्र पब्लिक नोटरी के समक्ष प्रतिज्ञात किये जायेंगे। अपने कथन के साथ व्यक्ति दस्तावेजों की या इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों की, यदि कोई हो, एक सूची जिस पर उसके द्वारा विश्वास करना प्रस्तावित हो, को भी माननीय जाँच न्यायमूर्ति को प्रदान कर सकेगा। जहाँ उपयोगी हो वह ऐसे दस्तावेजों की सत्य या मूल प्रति जो उसके अधिकार या नियंत्रण में हो, को माननीय जाँच न्यायमूर्ति को अग्रेषित करे और उस व्यक्ति का नाम और पता बताए जिससे शेष प्रलेख प्राप्त किए जा सकें।

शपथ पत्र के रूप में बयान प्रलेखों के साथ जाँच के उपस्थापन अधिकारी को इस लोक सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर स्पीड पोस्ट से या ई—मेल से inquiryhighcourt@gmail.com पर प्रेषित किये जा सकते हैं या व्यक्तिगत तौर पर जाँच कार्यालय पर कार्यालय समय सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक उपस्थापन अधिकारी को हस्तगत किए जा सकते हैं। शपथ पत्र केवल 11.03.2015 की घटना के संबंध में ही दिए जायेंगे।

यदि कोई व्यक्ति स्वयं को साक्षी के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है तो वह इस लोक-सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर जाँच कार्यालय को एक प्रार्थना-पत्र अपने पते और सम्पर्क नम्बर के साथ दे संकता है।

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त के संदर्भ में अपना कोई सुझाव दैना चाहता है तो वह इस लोक सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर अपने सुझाव जाँच कार्यालय पर कार्यालय समय सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक उपस्थापन अधिकारी को स्पीड पोस्ट से या ई—मेल से inquiryhighcourt@gmail.com पर प्रेषित कर सकता है या व्यक्तिगत रूप से हस्तगत कर सकता है।

संदर्भन आदेश के आलोक में, वर्तमान तथ्यान्वेषी जाँच जिला न्यायालय इलाहाबाद की घटना में किसी भी व्यक्ति की अपराधिता को इंगित नहीं करेगी जो आपराधिक परीक्षण की विषय वस्तु है या हो सकती है।

माननीय जाँच न्यायमूर्ति के आदेश के अंर्तगत निर्गत।

संजय कुमार पचौरी, एच.जे.एस. उपस्थापन अधिकारी ओ.एस.डी. (न्यायिक) (जाँच)

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

e-mail: inquiryhighcourt@gmail.com